Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding enactment of a population control law in the country.

श्री अरूण साव (बिलासपुर): माननीय सभापति जी, जनसंख्या नीति का संबंध प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने से है । जहां भी जनसंख्या नियंत्रित करने के प्रयास हुए हैं, वहां विकास की गति बढ़ी है । जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी राजनीतिक दलों को जाति, मज़हब, सम्प्रदाय की राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रहित और समाज हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की नितांत आवश्यकता है । जनसंख्या नियंत्रित कानून बनाकर देश की जनता को प्रदूषण, खराब सेहत, बेरोजगारी और अशिक्षा के साथ तमाम समस्याओं से निजात मिल सकेगी ।

देश में भौतिक संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या असीमित है । आने वाले 10-12 साल में हमारी जनसंख्या 150 करोड़ पार कर जाएगी । वर्ष 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था और जनसंख्या 35 करोड़ थी । अब दुनिया की 18 प्रतिशत जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है, जबकि यहां जमीन 2.4 फीसदी, पीने का पानी 4 फीसदी और वन क्षेत्र 2.4 फीसदी है । ये आंकड़े चिंता पैदा करने वाले हैं ।

लोगों को आबादी नियंत्रित करने के महत्व को समझना चाहिए क्योंकि यह न केवल उन्हें स्वस्थ-स्वच्छ वातावरण तथा बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगा, बल्कि अपने देश के समग्र विकास में मदद भी करेगा । इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए समाज और सरकार को एक साथ काम करने की आवश्यकता है । अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में लोगों को आवास की दिक्कत भी हो सकती है ।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करता हूं । धन्यवाद ।